विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 10 कंडिकाएँ, ''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण'' पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा एवं ''संक्रमणकालीन क्रेडिट'' पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है। इस प्रतिवेदन के कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं:

1. सामान्य

वर्ष 2020–21 के लिए बिहार सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 1,28,294.13 करोड़ थी जिसमें से राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से सृजित राजस्व ₹ 36,543.01 करोड़ (28.48 प्रतिशत) था। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 91,751.12 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 71.52 प्रतिशत) था जिसमें संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 59,987.24 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 46.76 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 31,763.88 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 24.76 प्रतिशत) समाविष्ट थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2021 तक बिक्री, व्यापार आदि पर कर, माल एवं यात्रियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क, वाहनों पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, राज्य उत्पाद, मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस तथा अलौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योगों पर राजस्व के बकाये ₹ 3,180.63 करोड़ थे, जिसमें से ₹ 1,056.31 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित थे।

(कंडिका 1.2)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2009–10 से 2018–19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 64 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा किया तथा ऊपर वर्णित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाहित वाणिज्य–कर विभाग, मद्य–निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग और परिवहन विभाग से संबंधित 52 कंडिकाओं पर अनुशंसाएँ दिए, हालाँकि लोक लेखा समिति के अनुशंसा पर इन विभागों से कृत कार्रवाई संबंधी टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (मार्च 2022)।

(कंडिका 1.3)

मार्च 2021 तक 2,899 निरीक्षण प्रतिवेदन (24,332 लेखापरीक्षा अवलोकन) में सन्निहित संभावित राजस्व ₹ 29,868.12 करोड़ लंबित थे जबकि राज्य का संपूर्ण राजस्व संग्रहण ₹ 36,543.01 करोड़ था। 2007–08 और उससे आगे निर्गत किये गये ₹ 18,614.56 करोड़ तक के संभावित राजस्व से सन्निहित 1,201 निरीक्षण प्रतिवेदनों (10,385 लेखापरीक्षा अवलोकन) के प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए।

(कंडिका 1.4.1)

लेखापरीक्षा ने 669 मामलों में कुल ₹ 486.29 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि का पता लगाया। संबंधित विभागों ने 679 मामलों में ₹ 187.28 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) जो पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किये गये थे। 164 मामलों में कुल ₹ 9.69 करोड़ की वसूली विभागों द्वारा (अप्रैल 2020 एवं मार्च 2021 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया।

(कंडिका 1.5)

2. वाहनों पर कर

''इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से ई–चालान के कार्यान्वयन के पश्चात जुर्माना/अर्थदण्ड के वसूली एवं संग्रहण पर विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा''

हैंड–हेल्ड डिवाइस द्वारा ई–चालान के माध्यम से वसूले गए ₹ 6.27 करोड़ सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किये गये। हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से संग्रह किए गए राशि के लिए खाता/रोकड़ बही का रख–रखाव न करने के कारण सरकारी खाते में ₹ 7.03 करोड़ के प्रेषण का सत्यापन नहीं किया जा सका।

(कंडिका 2.3.6)

₹ 1.97 करोड़ मूल्य के 3,061 चालानों में अनियमित रूप से संशोधन किया गया और भुगतान नहीं किये गए जुर्माने में ₹ 90.96 लाख की कमी की गई।

(कंडिका 2.3.7)

प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक द्वारा हस्तलिखित धन रसीद के माध्यम से ₹ 0.71 लाख के जुर्माने की वसूली के बाद भी, उक्त राशि को सरकारी खाते में प्रेषित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.8)

चूककर्त्ता वाहन मालिकों/चालकों को ₹ 24.17 करोड़ के 71274 ई–चालान निर्गत किये गये परन्तु उनके विरूद्ध न ही कोई कारवाई प्रारंभ की गई और न ही वाहन या दस्तावेजों की जब्ती के लिए कोई प्रयास किया गया।

(कंडिका 2.3.9)

नवादा के रजौली जाँच–चौकी पर पाँच कराधान कर्मचारियों के लिए उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र जारी किये गये थे लेकिन जाँच–चौकी पंजी में केवल एक उपयोगकर्त्ता पहचान पत्र दर्ज किया गया था। राजस्व के दैनिक पालीवार संग्रह एवं सरकारी खाते में इसके प्रेषण के लिए कोई पंजी/अभिलेख का संधारण नहीं किया गया।

(कंडिका 2.3.11)

वाहन पर ₹ 9.33 करोड़ के जुर्माने से प्राप्तियाँ अनुचित शीर्ष में प्रेषित की गई जिससे सड़क सुरक्षा परिषद राशि ₹ 93.30 लाख की सड़क सुरक्षा कोष के अपने हिस्से से वंचित रहा।

(कंडिका 2.3.12)

उपयोगकर्त्ता के पहचान के बिना हैंड–हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ₹ 5.06 लाख मूल्य के 191 ई–चालान जारी किये गये, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खाते में इसके प्रेषण का सत्यापन नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.13)

वसूली गई कुल राशि का केवल 11.86 प्रतिशत ही आठ जिलों में नामित बैंक को डिजिटल रूप से हस्तांतरित किया गया।

(कंडिका 2.3.14)

3. वाणिज्य–कर

''संक्रमणकालीन क्रेडिट'' पर अनुपालन लेखापरीक्षा

उचित अधिकारी ने वसूली के लिए देय ₹ 15.95 करोड़ की वसूली हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।

(कंडिका 3.3.6.1)

दो अंचलों के दो करदाताओं ने ₹ 1.69 करोड़ की स्रोत पर की गई कर कटौती का गलत दावा माल एवं सेवा कर ट्रान–1 में संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में किया गया।

(कंडिका 3.3.6.2)

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने वैट की अंतिम रिर्टन की तुलना में ₹ 35.31 लाख के अधिक संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा माल एवं सेवा कर ट्रान–1 में किया।

(कंडिका 3.3.6.3)

दो अंचलों के तीन करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान–1 में अंतिम भण्डार पर ₹ 1.58 करोड़ के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

(कंडिका 3.3.6.4)

तीन अंचलों के चार करदाताओं ने माल एवं सेवा कर ट्रान–1 में ₹ 57.31 लाख के संक्रमणकालीन इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत दावा किया।

(कंडिका 3.3.6.6)

लीगेसी मामले

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसाय बंद होने पर अंतिम भंडार पर ₹ 94.63 लाख का कर आरोपित नहीं किया।

(कंडिका 3.4.1)

कर–निर्धारण प्राधिकारी ₹ 3.51 करोड़ के आवर्त्त के छिपाव का पता लगाने मे विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 1.18 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4.2)

कर–निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण करते समय प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य ब्याज सहित ₹ 45.21 लाख के प्रवेश कर की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.4.3)

कर–निर्धारण प्राधिकारी ₹ 1.39 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट के अनियमित/अधिक दावों का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप आरोप्य अर्थदण्ड एवं ब्याज सहित ₹ 6.68 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4.4)

कर–निर्धारण प्राधिकारी कर के गलत दर लगाये जाने का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.12 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.4.5)

4. राजस्व एवं भूमि सुधार

त्रुटिपूर्ण गणना का तरीका अपनाने के फलस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ तोषण का कम आरोपण हुआ जिसके कारण 17 भू–स्वामियों को कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.1)

गलत गणना किए जाने के कारण भू–स्वामियों को ₹ 8.60 करोड़ के अतिरिक्त मुआवजे का कम भुगतान किया गया।

(कंडिका 4.3.2)

अधिग्रहण के अधीन भूमि का 25 वर्षों के वार्षिक लगान के पूँजीकृत मूल्य पर प्रतिशतता के रूप में ₹ 63.15 लाख के उपकर का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.3)

5. मुद्रांक एवं निबंधन फीस

पाँच निबंधन प्राधिकारी, जून 2016 से अगस्त 2021 के दौरान निष्पादित नौ दस्तावेजों में भूमि के अवमूल्यन का पता लगाने में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.08 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.3)

पत्थर के खनन पट्टे के गलत वर्गीकरण का पता लगाने में निबंधन अधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 5.4)